छह लड़कियों ने कर लिया था सुसाइड, 18 लोगों को बनाया गया था आरोपी, 9 को पहले मिल चुकी है सजा, एक आरोपी पर अन्य केस भी चल रहा

32 साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी जेल की सलाखों के पीछे

अजमेर के दामन पर था बदनुमा दाग, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने दिए थे सीआईडी सीबी जांच के आदेश

अजमेर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : अजमेर के अश्लील छायाचित्र ब्लैक मेल कांड की पीड़िताओं को मंगलवार को 32 साल बाद न्याय मिला। अदालत के इस फैसले का पीड़िताओं को ही नहीं अजमेरवासियों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोगों ने कहा कि न्याय भले देर से आया लेकिन असली आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं।

छह लड़कियों ने किया था सुसाइड

इस मामले में जिस फोटो लैब से लड़कियों की न्यूड फोटो बाजार में आई थी उसके बाद कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। वहीं घटना के बाद परेशान होकर कुछ छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और वो पुलिस के पास पहुंची। इस केस की परतें खुलते ही मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती के नाम सामने आए थे। उस समय तत्कालीन भैरोसिंह शेखावत सरकार ने जांच CID-CB को सौंप दी थी। इस पूरे केस में कुल 18 लोग आरोपी बनाए गए थे जिसमें 9 को पहले ही सज़ा मिल चुकी है वहीं एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी. इसके अलावा एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है जबकि और एक आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। बाकी बचे 6 आरोपियों की ट्रायल पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।

अजमेर : *मंगलवार को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से आरोपियों को ले जाती पुलिस। (इनसेट में) सजा सुनाए जाने के बाद गमछे से मुंह छिपाकर कोर्ट से जाता आरोपी।*

एक पीड़िता के बयान से अदालत रह गई सन्न

दिसंबर 2022 में अदालती कक्ष में एक पीड़िता इस प्रकरण में बयान देने आई। वह जज, वकीलों और अदालत में मौजूद आरोपियों पर चिल्लाते हुए बोली आप लोग मुझे अब भी बार-बार कोर्ट क्यों बुला रहे हो, तीस साल हो गए। मैं अब दादी हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। इसे सुन अदालत सन्न रह गई। उसने पूरे गुस्से के साथ कहा कि हमारे पास अब परिवार है। हम उन्हें क्या कहेंगे? जो हुआ उसे लेकर आरोपी हो ना हो, हम बेहद शर्मिंदा हैं। प्लीज अब हमें समाज में जीने दीजिए।

अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारुक चिश्ती था मास्टरमाइंड

इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारुक चिश्ती था। जहां चिश्ती ने बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती कर उसके साथ कुकर्म किया और उसकी कई तस्वीरें कैमरे में कैद कर लीं। वहीं इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का गंदा खेल और पीड़ित लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चिश्ती ने अपने पॉल्ट्री फार्म पर बुलाया और वहं रेप किया। इसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल कर कई लड़कियों को फार्म पर बुलाया जाता रहा और रेप को अंजाम दिया जाता था। वहीं आरोपियों ने इस मामले में घिनौनेपन की सारी सीमाएं पार कर दी। जहां सभी लड़कियों की फोटो की रील प्रिंटआउट के लिए एक कलर लैब में भेज दी। वहीं लड़कियों की फोटो मिलने के बाद लैब में काम करने वाले कर्मचारियों ने ये फोटो वायरल कर दिए, जिसके बाद 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया।

जमानत मिलने पर नसीम उर्फ टारजन हुआ था फरार

नसीम उर्फ टारजन के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। वर्ष 2003 में नसीम चिश्ती बुर्का पहने रिश्तेदार के साथ दिल्ली के धोलाकुआं बस स्टैंड पर घूम रहा था। तभी रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दे दी। इसके बाद दरगाह थाना पुलिस उसे धोलाकुआं से लेकर आई थी। प्रकरण में विदेश में रहने वाले जमीर चिश्ती ने अजमेर आने के बाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। यही ऐसा आरोपी है, जिसे जमानत मिली। इसका नाम अनुसंधान में अन्य आरोपियों के बयानों में आने के बाद सामने आया था। इसके कुछ दिनों बाद दरगाह क्षेत्र में फरारी काट रहे सलीम चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद मुंबई निवासी इकबाल भाटी का नाम भी सामने आया था। वहीं टारजन जमानत होने के बाद फरार हो गया था। इस प्रकरण में आरोपी सोहेल गनी ने करीब 29 साल फरारी काटने के बाद अदालत में समर्पण किया था।

अल्मास महराज अब भी फरार

इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी अल्मास महराज अभी भी फरार है। उसे मफरूर घोषित किया गया है, उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी है। इस प्रकरण में एक फोटाग्राफर पुरुषोत्तम उर्फ बेसमी का नाम भी सामने आया था। यह कैमरे से फोटो खींचकर रील की निगेटिव को फोटो में डवलप करता था। पुरुषोत्तम का नाम इस कांड में जुड़ने से वह मानसिक तनाव में आ गया और उसने आत्महत्या कर ली थी।

रसूखदार घरों की थीं लड़कियां

रसूखदार घरों और नामी गर्ल्स कॉलेज की हाई प्रोफाइल लड़कियों के न्यूड फोटो अचानक से मार्केट में सर्कुलेट होनी शुरू हुई। इसके बाद एक-दो नहीं पूरी 100 से ज्यादा छात्राओं की फोटो वायरल हो गई। इस तरह ये राजस्थान का सबसे बड़ा सैक्स स्कैंडल था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अपराधी भी बड़ी सियासी पहुंच वाले थे। फिर भी 10 आरोपियों को कानून ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

पुलिस की गलती से फैसले में देरी

पहली चार्जशीट 8 आरोपियों के खिलाफ और इसके बाद 4 अलग-अलग चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ थीं। इसके बाद भी पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ 4 और चार्जशीट पेश की। जानकारों के मुताबिक यहीं पुलिस ने सबसे बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से 32 साल बाद भी केस में जिस तरह की सजा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। पुलिस को हर बार नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट पेश करनी पड़ी। पहले से चले ट्रायल को रोक कर दोबारा से नए सिरे से ट्रायल चलाया गया। इसके चलते पीड़िताओं और गवाहों को भी कोर्ट में एक ही बयान के लिए बार-बार आना पड़ा।

लोकलाज के भय से कई पीड़िताएं बयान से हटीं पीछे

गवाहों की कमी ने केस को कमजोर किया। दुराचार और ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रेक कोर्ट और पोस्को कोर्ट के बीच घूमता रहा। शुरूआत में 17 लड़कियों ने बयान दर्ज करवाए। बाद में ज्यादातर लड़किया अपने बयान से मुकर गई। कई पीड़िताएं भय और लोक लाज से अदालत ही नहीं पहुंची। इसका आरोपियों को फायदा हुआ।

ब्लैकमेल कांड पर बन चुकी है फिल्म

अजमेर के इस कांड पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसका निर्देशन पुष्पेन्द्र सिंह ने किया था। भारी विरोध के कारण इसकी रिलीज दो बार टालनी पड़ी थी, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी।

बिन चेतावनी जमकर बरसे मेघ जयपुर में 3 इंच से अधिक बारिश

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : प्रदेश में पिछले तीन दिन से कमजोर पड़ा बारिश का दौर एक बार फिर तेज हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 22 अगस्त के बाद एक बार फिर भारी बरसात का क्रम शुरू होने की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को राजधानी में करीब दो घंटे तक जमकर बरसात हुई। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट में 80 मिमी बरसात दर्ज की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में दिनभर तेज धूप निकली, जिसके कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम केन्द्र जयपुर के मुताबिक मानसून ट्रंफ लाइन खिसकने के कारण राज्य में बरसात का दौर धीमा हो गया है। इसके आगामी दो दिनों में वापस अपने स्थान पर आने की संभावना है। इसके चलते 22 अगस्त से एक बार फिर राज्य में तेज बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में मानसूनी मेघ पूर्वी राजस्थान के अलवर में मेहरबान रहे। इसके चलते अलवर, सिलीसेढ तथा खैरथल में करीब चार इंच बरसात दर्ज की गई। भरतपुर में कुछ स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की गई है।

राजधानी में मंगलवार सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में अचानक मौसम बदला और परकोटा क्षेत्र में हल्की बारिश शुरू हो गई। इसके कुछ देर बाद ही राजधानी में घने बादल छा गए और तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। इस बारिश का केन्द्र राजधानी का परकोटा क्षेत्र ही रहा। करीब दो घंटे चले बरसात के दौर के कारण शहर की सडकों पर पानी बह निकला और एमआई रोड, कलेक्ट्रेट, शास्त्री नगर व परकोटा क्षेत्र में सड़कों पर डेढ़ फीट तक पानी भर गया।

जयपुर : *बारिश के बाद एमआई रोड पर भरा बरसाती पानी।* *(फोटो : दिनेश बगड़ा)*

महिला रेजीडेंट व महिला डॉक्टर्स को सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार, जिला कलेक्टर व एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे सभी रेजीडेंट, महिला रेजीडेंट व महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

इनकी समस्याओं के निदान के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षक जार्ड के एक प्रतिनिधि व दो महिला चिकित्साधिकारियों की कमेटी भी बनाई जाए। महिला डॉक्टर को मिली धमकी के मामले में एडीजी मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया है कि वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संध्या यादव वे मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करें। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश रेजीडेंट्स डॉक्टर्स के परिवाद पर दिए।

आयोग ने कहा, रेजीडेंट डॉक्टर्स को अस्पतालों में असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए और यदि कोई महिला रेजीडेंट हॉस्टल में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और उसे कोई अन्य रेजीडेंट डॉक्टर यौन शोषण की धमकी देता है तो इससे पता चलता है कि रेजीडेंट खुद के अस्पताल व अध्ययन के दौरान सुरक्षित नहीं हैं।

भारत बंद के मद्देनजर रोडवेज में सुरक्षित संचालन के निर्देश जारी

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय के विरोध में सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को आह्वान किए जा रहे भारत बंद के मद्देनजर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सभी वाहनों के सुरक्षित संचालन के आदेश जारी किए गए हैं।

निगम की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि भारत बंद के मद्देनजर सभी मुख्य प्रबंधक, प्रबंध संचालकों और यातायात प्रबंधकों को मुख्यावास पर ही उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया गया है। निगम की ओर से सभी वाहनों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक करने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर वाहन को आगार कार्यशाला में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ही रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों को असामाजिक तत्वों से दूर रखकर स्थानीय प्रशासन या पुलिस थानों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर की बेटी सितार वादिका विदुषी मंजू मेहता का निधन

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सितार वादिका विदुषी मंजू नंदन मेहता (79) का मंगलवार को निधन हो गया। जयपुर के भट्ट परिवार में जन्मी मंजू मेहता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर चुकी हैं। मंजू अहमदाबाद की प्रसिद्ध सप्तक संस्था की संचालिका थीं। विश्व प्रसिद्ध देवर्षि भट्ट परिवार की पुत्री पद्मविभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट की बड़ी बहिन मंजू मेहता के जाने से संगीत का एक अध्याय समाप्त हो गया। वे पं रविशंकर की शिष्या थीं।

चार बार तारीख बढ़ाने के बाद अब लॉटरी की बारी

नौ शहरों में आवासन मंडल के तीन हजार घरों के लिए 38 हजार आवेदन

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : राजस्थान आवासन मंडल के तीन हजार से अधिक आवासों की जल्द लॉटरी निकाली जाएगी। इन आवासों के लिए 38 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें उदयपुर के 212 आवासों के लिए सबसे ज्यादा 23 हजार आवेदन आए हैं। धौलपुर और भिवाड़ी की योजनाओं के आवासों के लिए एक भी आवेदन नहीं आए हैं। अब आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। मार्च से अब तक प्रदेश के 9 शहरों में हाउसिंग बोर्ड के आवासों के लिए चार बार आवेदन की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए अब लॉटरी का फैसला लिया गया है। मंडल अधिकारियों के अनुसार इस महीने के आखिरी तक लॉटरी निकाली जाएगी। आवासन मंडल के मुख्य संपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि जयपुर के प्रतापनगर, हनुमानगढ़ की डीटीओ, किशनगढ़ की खोड़ा गणेश, धौलपुर बाड़ी रोड सेक्टर 4 व 5 और भिवाड़ी सेक्टर-7 की योजना के लिए अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आवेदकों का जो रुझान आना था, वह आ चुका है। जल्द सभी आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी।

गोवर्धन विलास में दिखी रुचि : उदयपुर की गोवर्धन विलास योजना में सबसे ज्यादा आवदेन आए हैं। इस योजना में कुल 212 आवास हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 131 और एलआईजी के 81 आवास हैं, जिनके लिए 23,274 लोगों ने आवेदन किया है।

जोधपुर की बड़ली योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी की 1,041 मकानों की स्कीम के लिए 9,121 लोगों के आवेदन आए हैं। धौलपुर की बाड़ी योजना के सेक्टर-4 में एचआईजी के 4 मकान की योजना में एक भी आवेदन नहीं आया। सेक्टर-5 में एचआईजी की 9 मकानों की स्कीम के लिए केवल एक आवेदन आया है। भिवाड़ी के सेक्टर-7 में एमआईजी-बी की 3 मकानों के लिए भी एक भी आवेदन नहीं आया। जयपुर के प्रताप नगर सांगानेर स्थित ग्रीनवुड होरिजोन योजना किशनगढ़ की खोड़ा गणेश और न्यू आवासीय योजना-डीटीओ हनुमानगढ़ की योजनाओं में भी आवासों की संख्या के बराबर आवेदन नहीं आए।

आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष : मेघवाल

जयपुर, 20 अगस्त (ब्यूरो) : केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आरक्षण को लेकर विपक्ष पर आमजन के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

राजधानी में मंगलवार को आयोजित भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला के बाद मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि क्रीमीलेयर सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जरवेशन था, निर्णय और ऑब्जरवेशन अलग-अलग होता है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी और खड़गे जानबूझकर विवाद फैला रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से अपील है कि वो विपक्ष के भ्रम में नहीं आएं।

मेघवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो कांग्रेस के समय से चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण या समावेश लिखा हुआ है। इसमें राज्य चाहे तो सब कैटेगरी कर सकता है। यह राज्य को अधिकार दिया है। इसमें शर्त है कि राज्य ऐसा करने से पहले डाटा एकत्र करेंगे। यह तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने इस लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।

कोर्ट में एक ऑब्जरवेशन होता है, दूसरा निर्णय होता है। ऑब्जेक्शन को टिप्पणी कहते हैं और निर्णय को फैसला कहते हैं। क्रीमीलेयर मामला ऑब्जरवेशन है, निर्णय नहीं है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने पहले भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अनुसूचित और जनजाति वर्ग से अपील करता हूं कि वह विपक्ष के बहकावे में न आएं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, बड़ौदा भवन, द्वितीय तल, 13 एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर-302018, फोन: 0141-2727166, ई-मेल: armjai@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस "परिशिष्ट-IV क" (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले, गिरवी रखने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल एवं अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिये गये खाते में बकाया की वसूली के लिए "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। प्रत्याभूति-दाता का विवरण, गिरवी रखने वाले, गारन्टर, सुरक्षित सम्पत्ति, बकाया, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी की दिनांक व समय, अग्रिम धन राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

क्र. सं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्तियों के साथ चल एवं अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी दिनांक ई-नीलामी का समय	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/वास्तविक)	सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	श्री महेंद्र कुमार शर्मा एवं श्रीमती मनीषा शर्मा पता: 73, तीजा विहार, न्यू सांगानेर रोड, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर302020	श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री महेंद्र कुमार शर्मा के नाम से संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नं. 805, 7वां तल, ब्लॉक-1, गुरूशिखर अपार्टमेन्ट-1, खसरा नं. 9, 10 एवं 18, गांव नानकपुरा, हेमा की नांगल, तहसील- सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) 302029 में स्थित है क्षेत्रफल 1222.00 वर्ग फिट, CERSAI प्रभार केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पंजीकृत है, शाखा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भार रहित।	रुपये 46,10,454.26 दिनांक 10.02.2024 तक+ आगे का ब्याज, लागतें, शुल्क व अन्य वसूली खर्च इत्यादि	20.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)	आरक्षित मूल्य, रुपये 13,64,000/- धरोहर राशि, रुपये 1,36,400/- बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	भौतिक	11.09.2024 समय प्रात: 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
2.	धोहली देवी सैनी पत्नी कैलाश चंद सैनी एवं विजेंद्र कुमार सैनी पुत्र कैलाश चंद सैनी, पता: 60 श्री राम विहार- ए, न्यू सांगानेर रोड, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर- 302020 यहां भी:- ए-1 सोहन नगर ए, क्षेत्रपाल मंदिर न्यू सांगानेर रोड जयपुर-302020	धोहली देवी पत्नी कैलाश चंद सैनी के नाम से संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नं. बी-907, 8वां तल, गुरूशिखर की अपार्टमेंन्ट, हेमा की नांगल, गांव नानकपुरा, तहसील- सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) 302029 में स्थित है क्षेत्रफल 1585.82 वर्गफिट, CERSAI प्रभार केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पंजीकृत है, शाखा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भार रहित।	रुपये 58,31,051.53 दिनांक 10.02.2024 तक+ आगे का ब्याज, लागतें, शुल्क व अन्य वसूली खर्च इत्यादि	20.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)	आरक्षित मूल्य, रुपये 15,82,000/- धरोहर राशि, रुपये 1,58,200/- बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	भौतिक	11.09.2024 समय प्रात: 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
3.	श्रीमती अलका पत्नी श्री तिलेश तिवारी और श्री तिलेश तिवारी पुत्र श्री रीता नाथ तिवारी, पता- 4/253, शिप्रा पथ, मानसरोवर जयपुर (राजस्थान) यहां भी:- सी-103, द्वारका अपार्टमेंट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020	श्री तिलेश तिवारी के नाम से संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नंबर ए- 101, सर्वे नंबर 523/524, प्रथम तल, आस्था सेज व्यू से ज्ञात आवासीय भवन, प्लॉट खसरा नंबर 523 एवं 524, गांव नेवटा, सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) 302029 में स्थित है क्षेत्रफल 1280.00 वर्गफीट है। CERSAI प्रभार केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पंजीकृत है। ऋणभार:- ज्ञात नहीं।	रुपये 42,02,886.29 दिनांक 31.07.2024 तक+ आगे का ब्याज, लागतें, शुल्क व अन्य वसूली खर्च इत्यादि	20.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)	आरक्षित मूल्य, रुपये 15,36,000/- धरोहर राशि, रुपये 1,53,600/- बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	भौतिक	11.09.2024 समय प्रात: 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
4.	श्री लक्ष्मी नारायण सैनी (ऋणी) श्रीमती गीता देवी (सह-ऋणी), मालियों की बाड़ी, दागाणी ढोई श्रीमाधोपुर सीकर, राजस्थान-332304 यहां भी:- 1ए सोहन नगर ए, मान्यावास न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर, जयपुर-302020	सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें फ्लैट नं. 908, 8वां तल, गुरु शिखर-I, गांव नानकपुरा, हेमा की नांगल, तहसील सांगानेर, जयपुर- 302001 में स्थित है। सुपर बिल्ट अप एरिया 1144.00 वर्गफीट है। जो श्रीमती गीता देवी के नाम से है। CERSAI चार्ज्ड केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पंजीकृत है। ऋणभार: शाखा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ऋणभार कुछ नहीं।	रुपये 37,77,529.45 दिनांक 31.01.2024 तक+ आगे का ब्याज, लागतें, शुल्क व अन्य वसूली खर्च इत्यादि	20.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)	आरक्षित मूल्य, रुपये 15,75,000/- धरोहर राशि, रुपये 1,57,500/- बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	भौतिक	11.09.2024 समय प्रात: 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
5.	श्री सांवर मल सैनी एवं मनोहर लाल सैनी, Email ID-sanwarsaini1982@gmail.com प्लॉट नंबर 37, निर्माण नगर एबी, अजमेर रोड जयपुर। प्लॉट नंबर 7 ग्रीन रिवेरा सीकर रोड जयपुर-302013	श्री सांवर मल सैनी के नाम से साम्यिक बंधक यूनिट / फ्लैट नंबर 704, VI तल, गुरु शिखर-एफ, गांव नानकपुरा, हेमा की नांगल, तहसील सांगानेर, जयपुर- 302001 में स्थित जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1410.40 वर्गफीट है। CERSAI चार्ज्ड केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पंजीकृत है। ऋणभार: शाखा के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ऋणभार कुछ नहीं।	रुपये 45,18,876.28 दिनांक 31.12.2023 तक+ आगे का ब्याज, लागतें, शुल्क व अन्य वसूली खर्च इत्यादि	20.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयवृद्धि के साथ)	आरक्षित मूल्य, रुपये 24,30,000/- धरोहर राशि, रुपये 2,43,000/- बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	भौतिक	11.09.2024 समय प्रात: 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

विक्रय के नियमन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ebkray.in. को देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से फोन न. 0141-2727166, मो. 7339914229 पर से संपर्क कर सकते है। अधिक विवरण हेतु स्कैन करें
दिनांक: 20.08.2024 स्थान: जयपुर
ओंकार नाथ सिंह, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा